"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर 2012— अग्रहायण 9, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शिवबत्ती धर्मपत्नी श्री छबीलाल निषाद, उम्र 28 वर्ष, निवासी- ग्राम-पेटेश्री, पो.-तुमड़ीबोड़, थाना-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम शिवबत्ती पिता गोवर्धन दर्ज है. मेरा विवाह वर्ष 2008-में श्री छबीलाल निषाद के साथ सामाजिक रीतिरिवाज के साथ हुआ. विवाह उपरान्त मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम श्रीमती संगीता निषाद ध. प. श्री छबीलाल निषाद रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती संगीता निषाद धर्मपत्नी श्री छबीलाल निषाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती शिवबत्ती निषाद ध. प. - श्री छबीलाल निषाद निवासी-ग्राम-पेटेश्री पो.-तुमड़ीबोड़ थाना व तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	श्रीमती संगीता निषाद ध. प. - श्री छबीलाल निषाद निवासी-ग्राम-पेटेश्री पो.-तुमड़ीबोड़ थाना व तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती के. सिन्धु पति श्री के. सुब्रमण्यम, निवासी- प्लाट 38, सड़क A, त्रिवेणी नगर भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. ए. सिन्धु पिता श्री पी. जी. बी. पाणीकर था. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम श्रीमती के. सिन्धु पति श्री के. सुब्रमण्यम रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती के. सिन्धु पति श्री के. सुब्रमण्यम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. ए. सिन्धु पिता - पी. जी. बी. पाणीकर निवासी-प्लाट 38, सड़क A त्रिवेणी नगर, भिलाई जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती के. सिन्धु पति - श्री के. सुब्रमण्यम निवासी-प्लाट 38, सड़क A त्रिवेणी नगर, भिलाई जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक लोक न्यास, केशकाल, जिला-कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)

केशकाल, दिनांक 9 नवम्बर 2012

प्ररूप-चार
[देखें नियम 5 (1)]

प्र. क्र./01/अ- 113 (1)/2012-2013

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और म. प्र. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए जो छत्तीसगढ़ में समान रूप से लागू है.]

क्रमांक /1068/रीडर/2012.—चूंकि श्री संतोष कटारिया पिता श्री डूंगरचंद कटारिया, निवासी-मेनरोड, केशकाल, तहसील केशकाल, जिला-कोण्डागांव ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 10-12-2012 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अत: मैं, डी. एस. कुंजाम, अनुविभाग केशकाल जिला-कोण्डागांव का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10-12-2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रतिस्थापित करता हूं.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने की विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास की भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री शिरडी सांई मंदिर ट्रस्ट, मण्डल, ढोढरापारा, केशकाल, पोस्ट-केशकाल, तहसील-केशकाल जिला-कोण्डागांव, छत्तीसगढ़.
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	पटवारी हल्का नम्बर 14, केशकाल भूमि खसरा नंबर 18/4, क्षेत्रफल-0.01 18/6 -,, - 0.03 $\frac{1}{2}$

डी. एस. कुंजाम,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्रमांक /तक. अधि./469/2012.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आकृति का बीट हेमर वनपरिक्षेत्राधिकारी खुड़िया को वन मण्डल कार्यालय के चालान क्रमांक 1721 दिनांक 20-09-2012 से चचेड़ी बीट के उपयोग हेतु प्रदाय किया गया था. वनपरिक्षेत्राधिकारी खुड़िया ने अपने पत्र क्रमांक 215 दिनांक 28-02-2012 से सूचित किया है कि बीटगार्ड श्री साबित कुमार ध्रुव, वनरक्षक ने गुमा दिया है जिसकी सूचना संबंधित थाना-लोरमी को दी गयी है.

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त गुमशुदा बीट हेमर स्टॉक पंजी से अपलेखित किया जाता है. हेमर की कीमत रुपये 400/- (चार सौ रुपये) श्री साबित कुमार ध्रुव, वनरक्षक से वसूल करने का आदेश दिया जाता है.

उपरोक्त बीट हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम वन कार्यालय अथवा पुलिस थाना में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस बीट हेमर को अनाधिकृत रूप से रखे हुये अथवा उपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

एच. के. पाण्डेय,
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2012-13/1287.— आर. ई. डी. को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 1997, दिनांक .... विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष आर. ई. डी. को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 1997, दिनांक .... का पत्र दिनांक 15 सित. 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त केन्टीन कार्य करना बन्द कर दी है, कोई सदस्य शेष नहीं रह गये हैं, कोई देनदारियां शेष नहीं रह गया है, तथा संस्था को परिसमापन में लाने के सहमति दी है, संस्था निष्क्रिय है, एवं विधि अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/01 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. महिलांगे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-11-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2012-13/1288.— रेल एण्ड स्ट्रक्चरल मिल को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 1742, दिनांक .... विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष रेल एण्ड स्ट्रक्चरल मिल को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 1742, दिनांक .... का पत्र दिनांक 15 सित. 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त केन्टीन कार्य करना बन्द कर दी है, कोई सदस्य शेष नहीं रह गये हैं, कोई देनदारियां शेष नहीं रह गया है, तथा संस्था को परिसमापन में लाने के सहमति दी है, संस्था निष्क्रिय है, एवं विधि अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/01 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. पाण्डे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-11-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2012-13/1289.— इंजिनियरिंग शॉप को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 2002, दिनांक .... विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष इंजिनियरिंग शॉप को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 2002, दिनांक .... का पत्र दिनांक 15 सित. 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त केन्टीन कार्य करना बन्द कर दी है, कोई सदस्य शेष नहीं रह गये हैं, कोई देनदारियां शेष नहीं रह गया है, तथा संस्था को परिसमापन में लाने के सहमति दी है, संस्था निष्क्रिय है, एवं विधि अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/01 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. पाण्डे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-11-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2012-13/1290.— रोल टर्निंग एण्ड रिपेयर शॉप को -आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 2182, दिनांक .... विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष रोल टर्निग एण्ड रिपेयर शॉप को- आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 2182, दिनांक .... का पत्र दिनांक 15 सित. 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त केन्टीन कार्य करना बन्द कर दी है, कोई सदस्य शेष नहीं रह गये हैं, कोई देनदारियां शेष नहीं रह गया है, तथा संस्था को परिसमापन में लाने के सहमति दी है, संस्था निष्क्रिय है, एवं विधि अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/01 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. महिलांगे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-11-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2012-13/1291.— बेलफेयर बिल्डिंग नं. 3 (आर. टी. डी.) को- आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 1884, दिनांक .... विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष बेलफेयर बिल्डिंग नं. 3 (आर. टी. डी.) को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 1884, दिनांक .... का पत्र दिनांक 15 सित. 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त केन्टीन कार्य करना बन्द कर दी है, कोई सदस्य शेष नहीं रह गये हैं, कोई देनदारियां शेष नहीं रह गया है, तथा संस्था को परिसमापन में लाने के सहमति दी है, संस्था निष्क्रिय है, एवं विधि अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/01 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. पाण्डे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-11-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2012-13/1292.— पावर एण्ड ब्लूमिंग स्टेशन को -आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 2004, दिनांक .... विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष पावर एण्ड ब्लूमिंग स्टेशन को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 2004, दिनांक .... का पत्र दिनांक 15 सित. 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त केन्टीन कार्य करना बन्द कर दी है, कोई सदस्य शेष नहीं रह गये हैं, कोई देनदारियां शेष नहीं रह गया है, तथा संस्था को परिसमापन में लाने के सहमति दी है, संस्था निष्क्रिय है, एवं विधि अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/01 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. महिलांगे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-11-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2012-13/1293.—एस. पी. टु को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 2185, दिनांक .... विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष एस. पी. टु को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 2185, दिनांक .... का पत्र दिनांक 15 सित. 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त केन्टीन कार्य करना बन्द कर दी है, कोई सदस्य शेष नहीं रह गये हैं, कोई देनदारियां शेष नहीं रह गया है, तथा संस्था को परिसमापन में लाने के सहमति दी है, संस्था निष्क्रिय है, एवं विधि अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/01 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. पाण्डे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-11-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2012-13/1294.—प्लेटमिल वन वर्कर्स को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 2188, दिनांक .... विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष प्लेटमिल वन वर्कर्स, को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 2188, दिनांक .... का पत्र दिनांक 15 सित. 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त केन्टीन कार्य करना बन्द कर दी है, कोई सदस्य शेष नहीं रह गये हैं, कोई देनदारियां शेष नहीं रह गया है, तथा संस्था को परिसमापन में लाने के सहमति दी है, संस्था निष्क्रिय है, एवं विधि अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/01 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. पाण्डे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-11-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2012-13/1296.—एस. पी. श्री. को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 1899, दिनांक .... विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष एस. पी. श्री. को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 1899, दिनांक .... का पत्र दिनांक 15 सित. 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त केन्टीन कार्य करना बन्द कर दी है, कोई सदस्य शेष नहीं रह गये हैं, कोई देनदारियां शेष नहीं रह गया है, तथा संस्था को परिसमापन में लाने के सहमति दी है, संस्था निष्क्रिय है, एवं विधि अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/01 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. राणा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-11-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2012-13/1297.— इम्पलॉइज न्यू कोक ओवन को -आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 2157, दिनांक .... विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष इम्पलॉइज न्यू कोक ओवन को-आप. केन्टीन मर्या., बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 2157, दिनांक .... का पत्र दिनांक 15 सित. 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त केन्टीन कार्य करना बन्द कर दी है, कोई सदस्य शेष नहीं रह गये हैं, कोई देनदारियां शेष नहीं रह गया है, तथा संस्था को परिसमापन में लाने के सहमति दी है, संस्था निष्क्रिय है, एवं विधि अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/01 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. पाण्डे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-11-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012